



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102020-222854
CG-DL-E-30102020-222854

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320]
No. 320]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 30, 2020/कार्तिक 8, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 30, 2020/KARTIKA 8, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2020

सं. 29/2015-2020

विषय : टीआरक्यू स्कीम के तहत दिनांक 31.01.2021 तक आलू के आयात हेतु प्रक्रिया।

फा. सं. 01/89/180/30/एम-20/पीसी-2[क]/ई-24818.—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 2.04 के साथ पठित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. 40/2020 दिनांक 28.10.2020 के परिणामस्वरूप एतद्वारा आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 7 के एचएस कोड 0701 के तहत दिनांक 31.01.2021 तक 10 प्रतिशत के इन कोटा प्रशुल्क पर 10,00,000 मीट्रिक टन आलू के आयात हेतु प्रक्रिया को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अधिसूचित करते हैं :

उप-शीर्षक अथवा प्रशुल्क मद	माल का विवरण	प्रशुल्क दर कोटा मात्रा	इन-कोटा प्रशुल्क दर
0701	आलू	10,00,000 मीट्रिक टन	10 प्रतिशत

2. प्रक्रिया पुस्तक, 2015–2020 के पैरा 2.62 (i) में छूट देते हुए, एफटीपी 2015–20 के एएनएफ-2ड के अनुसार इच्छुक आयातकों से डीजीएफटी में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदनों की हार्ड कॉपी मेल अथवा पोस्ट द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है।

- i. इन आवेदनों के आवेदन शुल्क का परिशिष्ट एवं आयात-निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट-2ट के प्रक्रिया के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
- ii. एक आईईसी के तहत केवल एक आवेदन पर विचार किया जाएगा।

3. डीजीएफटी के पास किसी भी समय उपयुक्त समझे जाने पर आबंटन में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

4. सफल आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आयात खेप भारतीय पत्तनों पर 31.01.2021 को अथवा इससे पहले पहुंचे। समयावधि बढ़ाने के लिए किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 30th October, 2020

No. 29/2015—2020

Subject : Procedure for import of Potatoes, till 31.01.2021, under TRQ Scheme.

F. No. 01/89/180/30/AM-20/PC-2[A]/E-24818.—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy, 2015–2020 read with Paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015–2020, the Director General of Foreign Trade, consequent to Notification No.40/2020 dated 28.10.2020 issued by Department of Revenue, Ministry of Finance, hereby notifies the procedure for import of 10,00,000 MT of Potatoes, at in quota tariff of 10% till 31.01.2021 under HS Code 0701 of Chapter 7 of ITC (HS), 2017, Schedule-I (Import Policy) as per details below:

Sub-heading or tariff item	Description of goods	Tariff rate quota quantity	In-quota tariff rate
0701	Potatoes	10,00,000 MT	10%

2. In relaxation of Para 2.62 (i) of Handbook of Procedure, 2015-2020, online applications are invited from the intending importers as per ANF-2M of FTP 2015-20 to DGFT. **There is no need to send hard copy of the applications via mail or by post.**

- i. Application fee for these applications shall be paid according to procedure as per Appendix 2K of Appendices & Aayat - Niryat Forms.
- ii. Only one application against one IEC will be considered.

3. DGFT reserves the right to make any changes in allocation as deemed fit at any point of time.

4. Successful applicants will have to ensure that the import consignments **reach the Indian ports on or before 31.01.2021**. Request for extension of time will not be entertained.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.